



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 27.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 322/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड किया गिरफ्तार । जिसमें एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 खोखा कारतूस मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र स्व0 कलीराम निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. संजीव पुत्र जयपाल 2. रक्षित पुत्र संजीव 3. जयपाल पुत्र हरवंश निवासीगण ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत 4. अनुज पुत्र सतेन्द्र 5. कपिल सोलंकी पुत्र सतेन्द्र सोलंकी निवासीगण ग्राम जिवाना



गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत 6. भोला उर्फ छोटू उर्फ शिवम पुत्र पप्पू उर्फ मगेन्द्र निवासी ग्राम सोन्टा थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा एक राय होकर अपने-अपने हाथों में लाठी व डण्डे व धारदार हथियार व तमंचे से लेस होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट करना व जान से मारने की नियत से फायर करना जिसमे वादी की भतीजी के दाहिने हाथ में गोली लगने से घायल हो जाना तथा जान से मारने की धमकी देना। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 322/2026 धारा

191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसमें प्रकाश में आया अभियुक्त कपिल पुत्र सतेन्द्र उपरोक्त को दिनांक 23.10.2026 को गिरफ्तार किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.10.2026 को थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 322/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक अभियुक्त रक्षित को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 खोखा कारतूस मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 324/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. रक्षित तोमर पुत्र संजीव नि0 ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत। (घायल)
2. भोला उर्फ छोटू उर्फ शिवम पुत्र पप्पू उर्फ मगेन्द्र निवासी ग्राम सोन्टा थाना बाबरी जनपद शामली।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रक्षित तोमर पुत्र संजीव नि0 ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत

1. मु0अ0सं0 322/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस, थाना बिनौली, जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 321/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिनौली, बागपत।

3. मु0अ0सं0 324/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0

अभियुक्त भोला उर्फ छोटू उर्फ शिवम पुत्र पप्पू उर्फ मगेन्द्र निवासी ग्राम सोन्टा थाना बाबरी जनपद शामली

1. मु0अ0सं0 322/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस, थाना बिनौली, जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 324/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .32 बोर मय 02 खोखा एक जिन्दा कारतूस .32 बोर
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2- उ०नि० श्री संजीव कुमार, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
3. उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
4. उ०नि० श्री सन्नी कुमार, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
5. है०का० 714 रविन्द्र कुमार, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
6. का० 733 राहुल कुमार, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
7. रि०का० 263 यतेन्द्र कुमार, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
8. रि०का० 400 हरीश रावत, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
9. है०का० 770 पोपिन कुमार, थाना बिनौली, जनपद बागपत।
10. है०का० 720 यशपाल सिंह, थाना बिनौली, जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक- 27.10.2026

दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण एवं कारोबार के विरुद्ध बागपत पुलिस की कार्यवाही, 12 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे बरामद ।

दीपावली पर्व के दृष्टिगत माननीय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण एवं कारोबार पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से पटाखों का निर्माण करने, भण्डारण करने एवं कारोबार करने वाले कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे बरामद हुए हैं।



बागपत पुलिस द्वारा दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण एवं कारोबार के विरुद्ध अभियान निरन्तर जारी है।

➤ थाना खेकडा-

दिनांक 22-10-2026 को गिरफ्तार 02 अभियुक्तों का नाम पता-

1. प्रीतम पुत्र राजपाल निवासी ग्राम कुराली तहसील खड़ड़ थाना सदर जिला मोहाली (पंजाब)
2. सत्यवीर पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम नगला डुमाइल तहसील गन्नौर थाना जनीफ नगर जिला सम्भल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 200 किलोग्राम बरामद किये गये हैं ।

➤ थाना बडौत-

दिनांक 22-10-2026 को गिरफ्तार 01 अभियुक्त का नाम पता-

01 अभियुक्त विनोद पुत्र धर्मपाल निवासी आवास विकास कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत
जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 50 किलोग्राम

➤ थाना कोतवाली बागपत-

दिनांक 25-10-2026 को गिरफ्तार 02 अभियुक्तों का नाम पता-

1. राजकुमार पुत्र रामनाथ निवासी मौ० कानूनगो थाना झज्जर जिला झज्जर हरियाणा,
2. चालक प्रकाश पुत्र श्री भगवान निवासी ग्राम बाबरा थाना झज्जर जिला झज्जर
हरियाणा

बरामदगी का विवरण-

- निर्मित अवैध पटाखे 26 कट्टे
- घटना में प्रयुक्त एक माल वाहक वाहन नं० HR63G7579 बरामद हुए हैं।

दिनांक 23-10-2026 को गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. राजीव पुत्र विश्वनाथ राय निवासी थाना मंडोली सबोली नार्थ ईस्ट दिल्ली वर्तमान
पता न्यू विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व
2. कमल पुत्र सुकरम पाल निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद
बरामदगी का विवरण-

- निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 90 किलोग्राम बरामद हुए हैं।

➤ थाना दोघट

दिनांक 25-10-2026 को गिरफ्तार 01 अभियुक्त का नाम पता-

1-कुलदीप पुत्र सलेकचन्द निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध पटाखों की 06 बोरी
- घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा नं० UP17BT7218 बरामद हुई हैं।

➤ थाना सिंघावली अहीर-

दिनांक 27-10-2026 को अवैध रूप से स्काई शॉट पटाखें बनाने एवं तैयार करने के कार्य में संलिप्त गिरफ्तार 04 अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-तस्लीम पुत्र अब्दुल अजीज, निवासी मौहल्ला टंकी वाला, नई बस्ती, अमीनगर सराय, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत। उम्र करीब 37 वर्ष
- 2-वाजिद राणा पुत्र आसू, निवासी मौहल्ला टंकी वाला, नई बस्ती, अमीनगर सराय, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत। उम्र करीब 40 वर्ष
- 3-फारूख पुत्र जुम्मा, निवासी मौहल्ला टंकी वाला, नई बस्ती, अमीनगर सराय, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष
- 4-जैद पुत्र फारूख, निवासी मौहल्ला टंकी वाला, नई बस्ती, अमीनगर सराय, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- स्काई शॉट पटाखों की अधबनी नलकी: कुल 323 कट्टे ।
- लाल मिट्टी: कुल 110 कट्टे ।
- पुट्टी POP: कुल 104 कट्टे ।
- पोटाश: लगभग 20 किलोग्राम ।
- गंधक : लगभग 20 किलोग्राम ।
- सिलिकॉन केमिकल: कुल 06 ड्रम ।
- नलकी बनाने की मशीनें: खिंदौड़ा रोड स्थित फैक्ट्री में 08 मशीनें तथा ग्राम लुहारा स्थित इकाई में 08 मशीनें
- फैक्ट्री परिसर में बड़ी संख्या में अधकटी कागज की नलकी एवं अन्य सामग्री भी मिली,

➤ थाना बालैनी-

दिनांक 26.10.2026 की रात्रि में थाना बालैनी पुलिस टीम द्वारा ग्राम दत्तनगर में एक मकान पर दबिश दी गई। मौके पर रिजवान पुत्र खलील निवासी ग्राम दत्तनगर अपने दो अज्ञात साथियों के साथ अवैध रूप से पटाखे बनाता हुआ मिला। पुलिस को देखकर तीनों अभियुक्त मौके से फरार हो गए।

बरामदगी का विवरण-

- बने हुए सुतली बम्ब करीब 150 किलोग्राम ।
- अधबने सुतली बम्ब करीब 25 किलोग्राम ।
- उच्च तीव्रता विस्फोटक पदार्थ (बारुद) करीब 45 किलोग्राम

- विस्फोटक पदार्थ बनाने हेतु खाली गत्ते के खोल छोटे बडे करीब 480 किलोग्राम
- छोटी बडी सुतली की रील करीब 200 किलोग्राम
- अखबारी कागज करीब 60 किलोग्राम
- बम्ब में लगाने वाला पलीता के 15 बण्डल करीब 3 किलोग्राम
- पॉलीथीन करीब 10 किलोग्राम
- रबरबैन्ड के दो पैकेट, एक तराजू, दो कैंची, एक प्लास्टिक का तरला , एक नीला प्लास्टिक का छोटा ड्रम व एक कटी हुई प्लास्टिक की बोतल



BAGHPAT POLICE

थाना बड़ौत



दिनांक 27-10-2026

**थाना बड़ौत पुलिस ने वांछित एक अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।**

जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 726/26 धारा 61(2)/87/351/65(1) बी.एन.एस व 3/4(2) व 16/17 पोक्सो अधिनियम व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त रहीसा पुत्री यासीन निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बड़ौत को गिरफ्तार किया गया है।





BAGHPAT POLICE

थाना कोतवाली बागपत



दिनांक 27-10-2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 740/26 धारा 3/5ए/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त अंकित पुत्र सतवीर निवासी शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



✕ baghpatpolice



BAGHPAT POLICE

थाना बागपत



दिनांक 27-10-2026

थाना बागपत पुलिस ने वांछित एक अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 726/26 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/351(2)/352/132/121(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त मोहित पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत को गिरफ्तार किया गया है।



✕ baghpatpolice